संख्या-136/2023/।/438511/2023/2023/005-71-2002-002-6-2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 मे के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु पंचम किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्रांक-7082/लेखा/2023 दिनांक 20.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 21500.00 लाख के सापेक्ष गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु पंचम किश्त की धनराशि रू0 3583.33 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के द्वारा कुल धनराशि रू0 14333.32 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के मानक मद '20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' में प्राविधानित धनराशि रू0 21500.00 लाख के सापेक्ष पंचम किश्त की धनराशि रू0 3583.33 लाख (रूपये पैतीस करोड़ तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(6) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 3583.33 लाख (रूपये पैतीस करोड़ तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2210051050366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मानक मद 20 सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-229/दस-2023-24 दिनांक- 28 नवम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-136/2023/।/438511/2023/005-71-2002-002-6-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।